

From: Azad Singh <azads438@gmail.com>
Date: 12 September 2019 at 10:43:16 PM IST
To: arvind@traai.gov.in

[10/09, 6:58 PM] Gulwani: सेवा में ,चेयरमैन
 अथॉरिटी आफ इंडिया
 जवाहर लाल नेहरू मार्ग
 नई दिल्ली 110002

टेलीकॉम रेगुलेटरी

विषय (टैरिफ पर परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 से सम्बंधित)

महोदय,

परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा मांगे गए सुझाव ।

जैसा कि आप जानते हैं कि केबल टीवी आम उपभोक्ताओं के लिए सूचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का एकमात्र सस्ता साधन था जो आठवे टैरिफ के लागू होने के पश्चात कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने उसे आम उपभोक्ताओं के लिए केबल टी वी महंगा व टैरिफ का फायदा लेना कठिन कर दिया।

किसी बुके/पैकेज में शामिल चैनल्स के कुल मूल्य पर बुके/पैकेज के मूल्य पर छूट की अधिकतम सीमा (कैप) न होने जिस प्रकार अनुचित तरीके से नाजायज फायदा कुछ ब्रॉडकास्टर्स द्वारा उठाया गया है उसे देखते हुए इस अधिकतम छूट (कैप) को 15% से घटाकर 10% कर देना ही उचित होगा जिससे उपभोक्ताओं को अगर पैकेज की जगह अलग अलग स्वतन्त्र रूप से चैनल्स लेने हो तो उन्हें चुनने में सहूलियत मिलेगी।

अगर छूट की अधिकतम सीमा लागू हुई होती तो उपभोक्ता अपने उसी बजट(मनोरंजन पर महीने में खर्च करने वाली रकम) में ज्यादा ब्रॉडकास्टर के चैनल ले सकता था

क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा DPO (mso+lco) को पे चैनल्स पर दिया जाने वाला 20% बहुत ही कम है इस 20% में से mso व lco दोनों को आपस में बाँटना है जिससे lco को बहुत ही कम नाम मात्र का राजस्व मिल रहा है

उदाहरण के लिए अगर किसी

चैनल मूल्य 10.00 रुपये

कुल DPO Fee 20% = 2.00 रु

Lco मार्जिन 20%में 45%=90 पैसे

यह बिल्कुल ही अमान्य है।

अगर आपके 15 मार्च 2016 के the telecommunication(Broadcasting and cable services) interconnection (Digital addressable cable television systems) (seventh amendment regulation, 2016 (no. 3 of 2016) के क्लॉज

12. Revenue settlement between the mso and ko and related rights and obligations के

12.1 (d) the charges collected from the subscription of channels or bouquet of channels or channel and bouquet of channel other than those specified under clause (a) shall be shared in the ratio of 65:35 between the mso and the lco respectively.

के अनुसार गणना करें तो।

चैनल मूल्य अगर = 10.00 रुपये

Mso 65%. = 6.50

Lco 35% = 3.50

जबकि mso मिलने वाले 65% में से ही ब्रॉडकास्टर की चैनल का मूल्य देता।

अतः बड़े अफसोस कि व सोचने की बात है कि आठवें टैरिफ के बाद lco को 10 रुपये कीमत के चैनल से मात्र 90 पैसे मिल रहे हैं जबकि पहले उसी 10 रुपये कीमत के चैनल से 3.5 रुपये मिलते थे। इस प्रकार मात्र 90 पैसे पर lco किस प्रकार कार्य करे।

अतः 20% की सीमा को बढ़ाना अति आवश्यक है। यह इस प्रकार हो कि lco को चैनल/बुके के मूल्य का कम से कम 35% राजस्व प्राप्त हो। अर्थात् Dpo फी 60%(45:15 lco:mso) हो जिसमें से 45% lco व 15% mso को मिलना चाहिए

बर्तमान में NCF 130 रुपये व NCF पर बर्तमान में जो नियम हैं वह उचित हैं फिलहाल उनमें बदलाब की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें mso व lco की रैवेन्यू हिस्सेदार 10:90 के अनुपात में होनी चाहिए। 10% mso व 90% lco क्योंकि mso को कैरिज फी, प्लेसमेंट फी, लेंडिंग पेज एग्रीमेंट आदि और भी अन्य के द्वारा आय होती है जबकि lco मात्र ncf के हिस्सेदारी पर निर्भर है उसके खर्चे उसी में से हैं

सबसे महत्वपूर्ण विषय पर प्राधिकरण का ध्यान ही नहीं गया है जबकि उस उस विषय पर ध्यान पूर्व में ही दिया जाना आवश्यक था।

जब आठवें टैरिफ के अनुसार कोई भी PAY/FTA चैनल सभी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्म के लिए समान रूप से PAY/FTA रहेगा।

तब फिर कुछ ब्रॉडकास्टर अपने PAY चैनल्स को DTH (जैसे DD FREE DISH) से न तो वह चैनल्स का मूल्य ले रहे हैं बल्कि पैसे देकर (स्लॉट लेकर) चैनल चला कर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और प्राधिकरण ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की है।

जो ब्रॉडकास्टर DTH (जैसे DD फ्री डिस) पर अपने चैनल्स प्रसारित कर रहे हैं उन्हें आदेशित किया जाना चाहिए कि वे उन चैनल्स को FTA घोषित करें अन्यथा DTH (जैसे DD फ्री डिस) पर उन चैनल्स का प्रसारण तुरन्त प्रभाव से बन्द करें।

जिससे नियमों का उल्लंघन बन्द हो।

यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि हमारी आपत्ति DD फ्री डिस की फ्री उपभोक्ताओं को उपलब्ध होने पर नहीं है।

बल्कि हमारी आपत्ति प्रसारकों (ब्रॉडकास्टर) द्वारा DTH (जैसे DD फ्री डिस) को फ्री में pay चैनल्स उपलब्ध कराने के साथ साथ चैनल चलाने के लिए भुगतान करने से है।

धन्यवाद

केबल नेटवर्क का नाम FRIENDS CABLE NETWORK

केबल नेटवर्क का पता

V.P.O. PATAN DIS.TEH.HISAR

HARYANA.

